राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 741वी बैठक दिनांक 17.08.2022 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 741वी बैठक दिनांक 17.08.2022 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम उपस्थित थे :-

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री श्रीमन् शुक्ला, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः-

क्र.	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	9269/2022	1(a)	बॉक्साईट, लेटेराईट, ऑकर व वाईट अर्थ खदान	For ToR	स्पष्टीकरण
2.	9271/2022	1(a)	मैगनीज खदान	For ToR	स्पष्टीकरण
3.	9272/2022	1(a)	पत्थर एवं मुरूम खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
4.	9270/2022	1(a)	पत्थर खदान	EC Not recommended	Delisted
5.	8589/2021	7(da)	कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
6.	9220/2022	1(a)	पत्थर खदान	EC Not recommended	SEAC को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित
7.	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – आगर मालवा, म.प्र.– (रेत खनिज)			SEAC द्वारा अनुशंसित नहीं	SEAC के निर्णय से सहमत
8.	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – कटनी, म.प्र. – (रेत खनिज)			SEAC द्वारा अनुशंसित नहीं	SEAC को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित
9.	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – सीधी, म.प्र. – (रेत एंव अन्य गौण खनिज)			SEAC द्वारा अनुशंसित नहीं	SEAC के निर्णय से सहमत
10	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – दतिया, म. प्र.– (रेत खनिज)			SEAC द्वारा अनुशंसित नहीं	SEAC के निर्णय से सहमत
11	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – रीवा, म.प्र.– (अन्य गौण खनिज, रेत छोड़कर)			SEAC द्वारा अनुशंसित नहीं	SEAC के निर्णय से सहमत

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

12	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – राजगढ़			SEAC द्वारा अनुशंसित नहीं	SEAC के निर्णय से सहमत
13	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – भोपाल, म.प्र.– (रेत खनिज)			SEAC द्वारा अनुशंसित नहीं	SEAC को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित
14	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – डिंडोरी, म.प्र.– (रेत खनिज)			SEAC द्वारा अनुशंसित नहीं	SEAC को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित
15	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – जबलपुर, म.प्र.– (रेत खनिज)			SEAC द्वारा अनुशंसित नहीं	SEAC के निर्णय से सहमत
16	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला बालाघाट (म.प्र.)–अन्य गौण खनिज			SEAC द्वारा अनुशंसित नहीं	SEAC के निर्णय से सहमत
17	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला बालाघाट (म.प्र.)–रेत खनिज।			SEAC द्वारा अनुशंसित नहीं	SEAC के निर्णय से सहमत
18	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला रायसेन – रेत खनिज – (संशोधित)			SEAC द्वारा अनुशंसित नहीं	SEAC को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित
19	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला जिला अनूपपुर – रेत खनिज – (संशोधित)			SEAC द्वारा अनुशंसित नहीं	SEAC को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित
20	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला सिंगरौली (म.प्र.) – (संशोधित)			SEAC द्वारा अनुशंसित नहीं	SEAC को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित
21	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला धार (म.प्र.) – रेत खनिज (संशोधित)			SEAC द्वारा अनुशंसित नहीं	SEAC को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित
1.	7505/2020	1(a)	पत्थर खदान	For Delist	Delisted
2.	9193/2022	1(a)	मुरूम खदान	For Delist	Delisted
3.	9069/2022	1(a)	लेटेराईट एण्ड फायरक्ले खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
4.	2192/2014		व्तहंदपब प्दजमतउमकपंजम	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण	स्वीकृत
5.	7245/2020	1(a)	लैटेराईट खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
6.	9192/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत

1. प्रकरण क्र. 9269/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मध्यप्रदेश मिनरल्स सप्लाईस कंपनी, वार्ड नं. 8, पी.ओ. जैतवारा, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा बॉक्साईट, लेटेराईट, ऑकर व वाईट अर्थ खदान, उत्पादन क्षमता बॉक्साईट 35273, लेटेराईट 4294, ऑकर 5040, मिनरल रिजेक्ट 9370,

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

ओवरबर्डन 4410 टन प्रतिवर्ष, रकबा 15.78 हेक्टेयर, खसरा 43 भाग, ग्राम कुम्हरा जुडवानी, तहसील सेमरिया, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की 587वी बैठक दिनांक 02.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार प्रस्तावित खदान के अंदर मानब बसाहट एवं सड़क परिलक्षित हो रही है। प्रस्तावित खदान क्षेत्र में एवं आसपास मानव बसाहट पर खनन कार्य के दौरान प्रतिकूल प्रभावों के दृष्टिगत कलेक्टर रीवा से 10 दिवस में स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि खदान क्षेत्र के अंदर स्थित मानब बसाहट को शिफ्ट किया जायेगा अथवा नहीं। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को भी सूचित किया जाये कि प्रस्तावित R & R योजना पर जिला प्रशासन की क्या सहमति प्राप्त की है इस हेतु 10 दिवस में सूचित किया जाये।

2. **प्रकरण क्र. 9271/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पेसीफिक मिनरल्स प्रा.लि. बैहर रोड़, जिला बालाघाट (म.प्र.) द्वारा मेगनीस खदान, उत्पादन क्षमता (अंडर ग्रांउड), उत्पादन क्षमता मेगनीस 10559.8, सब–ग्रेड 586.655 व मिनरल रिजेक्ट 586.655 टन प्रतिवर्ष, रकबा 10.00 हेक्टेयर, कम्पॉटमेंट नं. पी.ओ. 127, ग्राम लौघर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की 587वी बैठक दिनांक 02.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC के समक्ष प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि वर्ष 2017 से खदान बंद है तथा खनन् कार्य 1988 से होने के कारण यह प्रकरण पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के उल्लंघन का तो नहीं है इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक से नोटराईज्ड शपथ पत्र प्राप्त किया जाये कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार का उत्खनन कार्य नहीं किया गया है तथा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का उल्लघंन नहीं किया गया है।

3. **प्रकरण क्र. 9272/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री हरि सिंह रघुवंशी, निवासी ग्राम बरदारी, तहसील पीथमपुर, जिला धार (म.प्र.) द्वारा पत्थर व मुरूम खदान, उत्पादन क्षमता पत्थर 25000 व मुरूम 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा नं. 646/2, 647 पैकी, ग्राम खंडवा, तहसील पीथमपुर, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 587वी बैठक दिनांक 02.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(i) परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, को हटाने की योजना बनाई जाये एवं उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय–समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना बनाएगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का परिपालन सुनिश्चित की जायेगा।

(viii) मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

(ix) खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

(x) विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(xii) एमओईएफसीसी की प्रारूप अधिसूचना दिनांक 18.02.2022 अनुसार जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार करना चाहिए।

(xiii) पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

(xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जायें।

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

4. **प्रकरण क्र. 9270/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री अभिलाष कश्यप, लक्षमेव भवन, नियर लिटिल किंडम स्कूल, शांता मंदिर, नियर आस्था परिसर, न्यू रामनगर, आधारताल, जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 24290 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.290 हेक्टेयर, खसरा नं. 521, 522, ग्राम तोरमदार, तहसील कुंदम, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 587वी बैठक दिनांक 02.08.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नलिखित अनुशंसा की गई है:

"............ समिति ने पाया कि जबलपुर जिले के नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज को छोडकर अन्य गौड खनिज) अनुमोदन हेतु अभी अप्राप्त है तथापि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस प्रस्तावित खदान का उल्लेख नही है, अतः इस स्थिति में इस प्रकरण पर पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किया जाना संभव नहीं है।........"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत 587वी बैठक दिनांक 02.08.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

5. **Case No 8589/2021** Smt. Meenakshi Parashar, MIG 9, Vipatpura Housing Board Colony, Dist. Narsinghpur, MP - 487001, MP. Prior Environment Clearance for Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBWTF) at at Khasra No. - 163/2, Village - Biner, Tehsil - Kareli, Dist. Narsinghpur, (MP)Biner, Tehsil - Kareli, Dist. Narsinghpur, (MP).

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

1. उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तावित 200 कि.ग्रा. प्रतिघंटे की क्षमता वाले CBWTF की स्थापना किये जाने हेतु पूर्व पर्यावरण स्वीकृति से संबंधित है।

2. उक्त प्रकरण ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के यथासंशोधित अधिसूचना दिनांक 17.04.2015 के अनुसार 'बी' श्रेणी की परियोजना के अंतर्गत 7 (da) में सम्मिलित किया गया है।

3. परियोजना को म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 29.07.2022 को CTE भी जारी की गई है।

4. परियोजना हेतु SEAC की 554वीं बैठक दिनांक 23.02.2022 को ToR जारी किये जाने की अनुशंसा की थी, जिसका कार्यवाही विवरण उक्त बैठक के पृष्ठ क्र. 6 से 10 पर अंकित है।

5. परियोजना हेतु SEIAA द्वारा SEAC के प्रस्ताव अनुसार कुछ अतिरिक्त शर्तों को शामिल करते हुए 709वीं बैठक दिनांक 07.03.2022 में ToR जारी करने की अनुमति प्रदान की गई थी तथा पत्र क्र. 3381 दिनांक 17.03.2022 द्वारा ToR जारी किया गया।

6. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

Nameofthe project	Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBWTF)
Promoter	**Mrs. Meenakshi Parashar**
LocationofIndustry	Village – Biner, Tehsil – Kareli, District – Narsinghpur, MadhyaPradesh
TotalPlotArea	**5390Sq.mt.**(1.32Acre) or **5390 Sq.mt.**
OpenArea	809.23sq.mt.
GreenArea	1138.66sq.mt.
Capacity	• 1 No. Incinerator of capacity 200kg/hr(Dry) • 1 No. Autoclave of capacity100 kg/hr • 1 No. Shredder of capacity 100 kg/hreach • ETP Capacity –7.5KLD(MBBR)
WasteWaterGeneration	7.1KLD
ETP	7.5KLD
TreatedWaterfromtheunit	5.68KLD (Reuse 5KLD Landscaping & 0.68 Misc.Purpose.)
PowerRequirement	Approx. 42 kVA for operation phase Supply source–(MPEB) Back up-DG. Set of 200KVA as stand by.
Water Requirement	Approximately 5KLD of water required during construction of the unit from Private water tankers.
	WaterDemandinOperationalPhase:

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

	S.no.	Particulars	Demandin KLD
	1.	Domestic Water Requirement	1.00
	2.	Process Water Requirement	3.00
	3.	Vehicle Washing	6.00
	4.	Landscaping	5.00
		Total Water Demand	**15 KLD**
ManpowerRequirement	50 persons		
EstimatedProject cost	Rs. 0.95Crores		
NearestRailwayStation	Narsinghpur Railway Station–14.19 km in NE direction.		
NearestHighway	NH 2 B-9.63Km(NE)		
NearestAirport	Jabalpur Airport–101.68 Km in NE direction away from the site		
Coordinates	22°51'40.26"N,79°6'22.64"E		

7. परियोजना की लोक सुनवाई दिनांक 28.06.2022 को ए.डी.एम, नरसिंहपुर की अध्यक्षता में परियोजना स्थल पर आयोजित हुई। लोक सुनवाई के दौरान ग्रामवासियों द्वारा रोजगार दिये जाने की मांग की गई, जिसे परियोजना प्रस्तावक द्वारा योग्यता के अनुसार प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया गया। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित लोक सुनवाई कार्यवाही विवरण के अनुसार लोक सुनवाई के दौरान परियोजना के स्थापना हेतु किसी प्रकार की अनापत्ति प्राप्त नहीं हुई तथा जन समुदाय द्वारा प्रोजेक्ट के स्थापना के संबंध में सहमती जताई गई।

8. पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन पर SEAC द्वारा 586वी बैठक दिनांक 21.07.2022 में अनुश्रवण किया तथा परियोजना संबंधित अन्य जानकारी परियोजना प्रस्तावक से चाही गई।

9. SEAC द्वारा 587वीं बैठक दिनांक 02.08.2022 को उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्टि व्यक्त करते हुए प्रकरण की पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई। उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 08 से 19 पर अंकित है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 587वीं बैठक दिनांक 02.08.2022 की कार्यवाही विवरण, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गई gap analysis report **जोकि CPCB Guideline के आधार पर बनाई गई है बोर्ड द्वारा प्रत्येक जिले में एक CBWTF संयत्र की स्थापना की अनुशंसा हैं। इससे जिले में जैव अपशिष्ठ प्रबंधन सुदृण होगा साथ ही**

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

जैव अपशिष्ठ का निष्पादन निर्धारित समय–सीमा में सुनिश्चित होगा जिससे आम जन जीवन को प्रदूषण से बचाया जा सकेगा। यह एक क्षेत्रीय आवश्यकता भी है। विस्तृत चर्चा उपरांत सर्व सम्मिति से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं परिशिष्ट – 2 के साथ परियोजना प्रस्तावक श्रीमती मीनाक्षी पाराशर, एम.आई.जी.–9, विपटपुरा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) द्वारा प्रस्तावित कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी (CBWTF), खसरा 163/2, ग्राम बिनेर, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) में स्थापना हेतु पूर्व पर्यावरण मंजूरी प्रदान की जाती है।

1. कार्यस्थल की स्थिति को देखते हुए स्थापित किये जाने वाले Incinerator एवं चिमनी को उत्तर–पूर्व कोने में लगाया जावे ताकि रोड़ से उसकी दूरी अधिकतम मिले एवं उनसे निकलने वाली ऊष्मा एवं प्रदूषण से रोड़ से निकलने वाले लोगों को सुरक्षित रखा जा सके।
2. प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए रोड़ साईट Incinerator एवं चिमनी की ओर बाउण्ड्रीवाल की ऊँचाई 3 से 3.6 मीटर की रखी जावे।
3. रोड़ के तरफ सघन वृक्षारोपण किया जाना सुनिश्चित करें।
4. ETP के पर्यवेक्षण हेतु पृथक से विद्युत मीटर की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाये।
5. परियोजना स्थल का रोड़ समीपस्थ होने के कारण यदि आवश्यक हो तो, चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर से अधिक रखी जाये।
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन के अनुसार दुर्गंध निवारण एवं नियंत्रण हेतु प्रस्तावित उपायों का पालन अनिवार्यतः किया जावे।
7. यह परियोजना ईकाई औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है इस कारण CETP की सुविधा न होने के कारण इकाई में Zero Liquied Discharge के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सतत् अनिवार्य है।

6. **प्रकरण क्र. 9220/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स देवी कन्स्ट्रक्शन, प्रोप. श्री जितेन्द्र कुमार पटेरिया, निवासी ग्राम बरखेड़ी, पोस्ट साहवन, तहसील बांदा, जिला सागर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा नं. 564, ग्राम बरखेड़ी, तहसील बांदा, जिला सागर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।** (बंडा)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 587वी बैठक दिनांक 02.08.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नलिखित अनुशंसा की गई है:

"............ समिति ने पाया कि सागर जिले के नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित हेतु अभी तक अप्राप्त है तथापि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन पुरानी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अपलोड किया गया है जिसमें प्रस्तावित खदान का उल्लेख नही है, अतः इस स्थिति में इस प्रकरण पर पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किया जाना संभव नहीं है।........"

(श्रीमन् शुक्ला)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण में **SEAC** द्वारा **578वी बैठक** दिनांक **16.06.2022** एवं **582वी बैठक** दिनांक **29.06.2022** के माध्यम से कार्यालय कलेक्टर एवं तहसीलदार से जानकारी चाही गई थी जो कि प्राप्त हो गई है। उक्त प्रकरण 15 जून 2022 से पहले का स्वीकृत होकर पंजीबद्ध है। अतः उक्त प्रकरण वृक्षारोपण एवं **CER** की शर्त के साथ 07 दिवस में अनुशंसित किये जाने हेतु **SEAC** को पुनः अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

7. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – आगर मालवा (रेत खनिज)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 587वीं बैठक दिनांक 02.08.2022 में जिला आगर मालवा की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) में निम्नानुसार सुझाव सहित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अद्यतन किये जाने की अनुशंसा की गई है।

(i) जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट (पेज–56 एवं 57) अनुसार जानकारियॉ वांछित तालिका में नहीं दी गई है।

(ii) उक्त जिला सर्वेक्षण के अवलोकन से यह ज्ञात नहीं होता कि इसे आमजन के सुझाव आंमत्रित करने बाबत् उसे जिले के पोर्टल पर नियत अवधि के लिए कब अपलोड किया गया तथा उक्त समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त होने पर उसका निराकरण किस प्रकार किया गया ।

(iii) इसी प्रकार इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में लीजवार/नदीवार रेत की उपलब्धता दर्शाने वाली तालिका में विवरण नहीं दिया गया हैं ।

(iv) पेज नं. 45 पर प्रस्तुत रेनफॉल की जानकारी अस्पष्ट/अपठनीय है ।

(v) तालिका मे ना ही नदी–वार लीजों की सूची, स्वीकृत क्षेत्र, स्वीकृत माईनिंग, गहराई के साथ उपलब्ध रेत की मात्रा एंव तदुपरांत उत्पादन, खनिज योग्य खनिज क्षमता, मात्रा की 60% मात्रा को दर्शाया जाना चाहिये। अतएव इस तालिका को पुनरीक्षित किया जाना प्रस्तावित है।

(vi) प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विगत् 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है ।

(vii) इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों को को–आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो ।

(viii) प्रायः देखा जा रहा है जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में रेत निर्माण होने की भू–वैज्ञानिक विधि की सामान्य जानकारी दी जाती है जो सभी जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो में एक जैसी ही है जिसके स्थान पर जिलें

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

में मिलने वाली नदी के अपस्ट्रीम क्षेत्र में मिलने वाली चट्टानों का (रॉक फार्मेशन) का समावेश होना चाहिए ।

(ix) *जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रदर्शित नक्शों में जो भी फीचर्स दिखाया जाता है उसको संबंधित नक्शें के लीजेंड में भी दिखाया जाना चाहिए एवं नक्शों का स्केल ऐसा होना चाहिए कि समस्त फीचर स्पष्ट दिख सके । यदि ए–4 साईज में नक्शें नहीं आ पा रहे हो तो ए–3 साईज में नक्शों को बनाना चाहिए।*

(x) *समिति ने संबंधित जिलों के खनिज अधिकारियों को निर्देशित करती है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि नदियों में किसी स्थान पर मछलियों / कछुआ /घड़ियाल / मगरमच्छ आदि जलचरों का ब्रीडिंग ग्राउण्ड तो नहीं है यदि ऐसा कोई स्थानीय संवेदनशीन क्षेत्र दृष्टिगत होता है तो खनन् क्षेत्र की सीमा को 60 प्रतिशत से कम कर 50 प्रतिशत तक भी सीमित किया जा सकता है ।*

(xi) *समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सभी खनिज अधिकारी अपनी साईट विजिट के दौरान खदान द्वारा किये जा रहे पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं का भी अवलोकन करें एवं यदि कोई पर्यावरणीय संवेदनशीलता दृष्टिगत हो, जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो तो संबंधित तथ्यों से राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारिण प्राधिकरण को उचित कार्यवाही हेतु अवगत करायें।*

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि आगर मालवा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । ऑन लाईन उपस्थित श्री सतीश मिश्रा प्रभारी खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण' (**SEIAA**) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत **SEAC की 587वी बैठक दिनांक 02.08.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि SEAC द्वारा सुझाई की उपरोक्त अनुशंसाओं को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अद्यतन किया जाकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट में संशोधित एवं अद्यतन वांछित जानकारी सीधे ही SEAC को प्रेषित करते हुए SEIAA को भी प्रति प्रस्तुत करें।**

तदानुसार, जिला कलेक्टर, आगर मालवा एवं संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

8. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – कटनी (रेत खनिज)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 587वीं बैठक दिनांक 02.08.2022 में जिला कटनी की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) में निम्नानुसार सुझाव सहित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अद्यतन किये जाने की अनुशंसा की गई है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(i) *प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट (पेज–56 एवं 57) अनुसार जानकारियॉ वांछित तालिका में नहीं दी गई है।*

(ii) *प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विगत 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है ।*

(iii) *प्राप्त नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट–2022 (रेत खनिज) के साथ संलग्न प्रपत्र से यह स्पष्ट नहीं है कि दिनांक 22/07/22 को आयोजित जिला समिति की बैठक में इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया अथवा नहीं, अतः जिला समिति की स्पष्ट अनुशंसा प्राप्त की जाये अथवा जिला समिति के पूर्ण कार्यवाही संलग्न करें जिसमें जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उनके द्वारा अनुमोदित की गई हो ।*

(iv) *पिछले तीन वर्षो के दौरान रेत खनिज राजस्व प्राप्ति के ब्यौरों में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि वर्ष 2019–20 में रेत का उत्पादन 65,000 घनमीटर दर्शाया गया है जबकि रॉयल्टी शून्य दर्शाई गई हैं । (पेज नं.–35)*

(v) *जिले की सर्वेक्षण रिपोर्ट मे बहुत सारी जानकारियां मुख्य एंव गौण खनिज की दी गयी है।*

(vi) *पेज नं. 45 पर प्रस्तुत रेनफॉल की जानकारी अस्पष्ट/अपठनीय है ।*

(vii) *पेज नं.–35 के अंतिम पैराग्राफ में दी गई तालिका के विवरण अपठनीय है ।*

(viii) *पेज न0. 56 के अन्तर्गत प्रदाय की जानकारी अपूर्ण है। इस तालिका मे ना ही नदी–वार लीजों की सूची, स्वीकृत क्षेत्र, स्वीकृत माईनिंग, गहराई के साथ उपलब्ध रेत की मात्रा एंव तदुपरांत उत्पादन, खनिज योग्य खनिज क्षमता, मात्रा की 60% मात्रा को दर्शाया जाना चाहिये। अतएव इस तालिका को पुनरीक्षित किया जाना प्रस्तावित है।*

(ix) *इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों को को–आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेबल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो ।*

(x) *प्रायः देखा जा रहा है जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में रेत निर्माण होने की भू–वैज्ञानिक विधि की सामान्य जानकारी दी जाती है जो सभी जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो में एक जैसी ही है जिसके स्थान पर जिलें में मिलने वाली नदी के अपस्ट्रीम क्षेत्र में मिलने वाली चट्टानों का (रॉक फार्मेशन) का समावेश होना चाहिए ।*

(xi) *जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रदर्शित नक्शों में जो भी फीचर्स दिखाया जाता है उसको संबंधित नक्शें के लीजेंड में भी दिखाया जाना चाहिए एवं नक्शों का स्केल ऐसा होना चाहिए कि समस्त फीचर स्पष्ट दिख सके । यदि ए–4 साईज में नक्शें नहीं आ पा रहे हो तो ए–3 साईज में नक्शों को बनाना चाहिए।*

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(xii) समिति ने संबंधित जिलों के खनिज अधिकारियों को निर्देशित करती है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि नदियों में किसी स्थान पर मछलियों / कछुआ /घड़ियाल / मगरमच्छ आदि जलचरों का ब्रीडिंग ग्राउण्ड तो नहीं है यदि ऐसा कोई स्थानीय संवेदनशीन क्षेत्र दृष्टिगत होता है तो खनन् क्षेत्र की सीमा को 60 प्रतिशत से कम कर 50 प्रतिशत तक भी सीमित किया जा सकता है ।

(xiii) समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सभी खनिज अधिकारी अपनी साईट विजिट के दौरान खदान द्वारा किये जा रहे पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं का भी अवलोकन करें एवं यदि कोई पर्यावरणीय संवेदनशीलता दृष्टिगत हो, जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो तो संबंधित तथ्यों से राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारिण प्राधिकरण को उचित कार्यवाही हेतु अवगत करायें।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि कटनी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । ऑन लाईन उपस्थित श्री पवन कुशवाहा, खनि निरीक्षक को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें । तदनुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

जिला खनिज अधिकारी, जिला कटनी के ई-मेल दिनांक 10.08.2022 के माध्यम से SEAC की 587वीं बैठक दिनांक 02.08.2022 की अनुशंसा अनुसार चाही गई उपरोक्त जानकारी सीधे ही SEAC को परीक्षण हेतु प्रेषित की गई है एवं उसकी एक प्रति SEIAA को भी प्राप्त हुई है। तदानुसार उक्त जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पुनः परीक्षण हेतु SEAC की ओर अग्रेषित की जाये।

9. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – सीधी (रेत एवं अन्य गौण खनिज)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 587वीं बैठक दिनांक 02.08.2022 में जिला सीधी की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत एवं अन्य गौण खनिज) में निम्नानुसार सुझाव सहित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अद्यतन किये जाने की अनुशंसा की गई है।

अ. वॉल्यूम-01 रेत खनिज

(i) प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) में कुछ जानकारियॉ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निर्धारित फार्मेट / तालिका में नहीं दी गई है । जैसे टेबिल कमांक 15 एवं 16 में खनिज रेत हेतु लीजवार "माइनेवल मिनरल पोटेंशियल (घनमीटर में) 60% टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार लम्बाई एंव चौड़ाई के साथ नही दिया गया है जो दिया जाना आवश्यक है।

(ii) प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विगत 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है ।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(iii) इसी प्रकार एनुअल डिपोजिशन तथा मिनरल पोटेंशियल की जानकारी भी अधिसूचना में निहित प्रपत्र अनुसार दी जाना चाहिए ।

(iv) इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों को को-आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो।

(v) समिति ने संबंधित जिलों के खनिज अधिकारियों को निर्देशित करती है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि नदियों में किसी स्थान पर मछलियों/कछुआ /घड़ियाल/मगरमच्छ आदि जलचरों का ब्रीडिंग ग्राउण्ड तो नहीं है यदि ऐसा कोई स्थानीय संवेदनशीन क्षेत्र दृष्टिगत होता है तो खनन् क्षेत्र की सीमा को 60 प्रतिशत से कम कर 50 प्रतिशत तक भी सीमित किया जा सकता है।

ब. वॉल्यूम–02 अन्य गौण खनिज

(i) प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट–अन्य गौण खनिज पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट अनुसार नहीं बनाई गई है तथा कई जानकारियॉ वांछित तालिका में नहीं दी गई है ।

(ii) जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका–3 (पेज कमांक–08 से 12) की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में नहीं है । निर्धारित प्रपत्र के कमांक–9 के कॉलम–05, 13, 14, 15 एवं 16 इत्यादि की जानकारी नहीं दी गई हैं ।

(iii) इसी प्रकार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका–14 की जानकारी अधिसूचना के निर्धारित प्रपत्र के कमांक–13 में प्रस्तावित टेबिल के अनुरूप नहीं है ।

(iv) इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में निर्धारित प्रपत्र के बिंदु कमांक–18, 20, 25 एवं 26 की जानकारियों का समावेश नहीं किया गया है, जिस कारण रिपोर्ट अपूर्ण है ।

(v) जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) के पेज न0. 28 के बिन्दु क0. 16 में जिले मे स्थित इको सेंसिटिव जोन की जानकारी दी गयी है, जिसमें बताया गया है जिले मे संजय डुबरी (Sanjay-Dubri N.P.& Tiger Reserve) राष्ट्रीय पार्क एंव टाईगर रिजर्व, सोन–घड़ियाल, अभ्यारण एंव बगदरा वन्य प्राणी अभ्यारण स्थित होना बताया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें पाये जाने वाले जंगली जानवरों का भी उल्लेख है। चूँकि सीधी जिला वन्य प्राणी, जलचरों एंव वनस्थिति दृष्टि अत्याधिक संवेदनशील है अतएव डी. एस.आर. के इस पार्ट तीनों ईको सेंसीटिव जोन यथा–सजंय–डुबरी राष्ट्रीय पार्क, सोन घड़ियाल अभ्यारण एंव बगदरा वन्य प्राणी अभ्यारण के अन्तर्गत इनकी सीमायें की जानकारी (Extentd) नोटिफिकेशन न0.एंव कोर जोन एंव बफर जोन मे आने वाले गांवों की सूचि का समावेश करना अत्याधिक आवश्यक है जिससे खनन गतिविधि का कोई भी विसम प्रभाव वन्य–प्राणी के रहवास एंव इनके संवेदनशील पारिस्थितिकीय तंत्र पर न पड़े एवं इनसे संबंधित अधिसूचनाओं की प्रति भी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में संलग्न की जाना चाहिए ।

(vi) जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे हरित क्षेत्र के विकास हेतु खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नही दी गई है। जानकारी के लीजवार शामिल कर अद्यतन किया जाना चाहिए। साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(vii) समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सभी खनिज अधिकारी अपनी साईट विजिट के दौरान खदान द्वारा किये जा रहे पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं का भी अवलोकन करें एवं यदि कोई पर्यावरणीय संवेदनशीलता दृष्टिगत हो, जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो तो संबंधित तथ्यों से राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारिण प्राधिकरण को उचित कार्यवाही हेतु अवगत करायें।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला सीधी को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। ऑन लाईन उपस्थित सुश्री दीपमाला तिवारी, खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) को अद्यतन कर लें । तदनुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

जिला खनिज अधिकारी, जिला सीधी के ई–मेल दिनांक 16.08.2022 के माध्यम से SEAC की 587वीं बैठक दिनांक 02.08.2022 की अनुशंसा अनुसार चाही गई उपरोक्त जानकारी सीधे ही SEAC को परीक्षण हेतु प्रेषित की गई है एवं उसकी एक प्रति SEIAA को भी प्राप्त हुई है। तदानुसार उक्त जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पुनः परीक्षण हेतु SEAC की ओर अग्रेषित की जाये।

10. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – दतिया (रेत खनिज)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 587वीं बैठक दिनांक 02.08.2022 में जिला दतिया की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) में निम्नानुसार सुझाव सहित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अद्यतन किये जाने की अनुशंसा की गई है।

(i) प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट अनुसार नहीं बनाई गई है तथा कई जानकारियॉ वांछित तालिका में नहीं दी गई है जिस कारण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपूर्ण है।

(ii) जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज न0. 31 एवं 32 की जानकारी में अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 अनुसार निर्धारित प्रपत्र में नहीं है जैसे तालिका में प्रपत्र अनुसार नदी की खदानों मे चौडाई एंव गहराई कितनी ली गई है जिस आधार पर रेत की मात्रा की गणना की गयी है उसका उल्लेख नही किया गया है ।

(iii) प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विगत 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है ।

(iv) इसी प्रकार जो जानकारी पेज 33 पर उल्लेखित है उसमें उपरोक्त बिंदु कमांक–02 की तालिका संबंधी अधिकांश जानकारियॉ दी गई सिर्फ 60 प्रतिशत टोटल माईनेवल प्रोटेंशियल की गणना नहीं की गई हैं जो रेत खनन के प्रकरणों में पर्यावरणीय स्वीकृति के परीक्षण के दौरान आवश्यक है ।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

अतः नदी में आवंटित सभी माइनिंग लीजों की जानकारी में ''60 प्रतिशत टोटल माईनेवल प्रोटेंशियल'' की गणना कर एकजाई जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रस्तुत की जाये ।

(v) पेज न0. 41 में Annexure – III के अन्तर्गत प्रदाय की तालिका में जानकारी निरंक दर्शाई गई है जबकि इस तालिका में नदीवार विभिन्न लीजों की जानकारी का समावेश किया जाना चाहिये।

(vi) पेज न0. 42 मे Annexure - VI के अन्तर्गत प्रदाय की जानकारी अपूर्ण है। इस तालिका मे ना ही नदी–वार लीजों की सूची, स्वीकृत क्षेत्र, स्वीकृत माईनिंग, गहराई के साथ उपलब्ध रेत की मात्रा एंव तदुपरांत उत्पादन, खनिज योग्य खनिज क्षमता, मात्रा की 60% मात्रा को दर्शाया जाना चाहिये। अतएव इस तालिका को पुनरीक्षित किया जाना प्रस्तावित है।

(vii) जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज 52 जिसमें पोस्ट और प्री मानसून में रेत की उपलब्धता दर्शाई गई है, संबंधित दोनों तालिका में जो रेत की उपलब्धता एवं स्वीकृत गहराई के साथ जो गणना की गई है, वह सही प्रतीत नहीं होती है । क्योंकि इस तालिका मे रेत की उपलब्ध मात्रा की गणना करने मे रेत की खदान की औसत गहराई प्री–मानसून एंव पोस्ट मानसून मे एक समान ली गई है। अतएव इसको पुनः सत्यापित कर लेवें।

(viii) जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 31, 32 एवं 33 पर दी गई जानकारी पुनः पेज नं. 41 एवं 42 पर प्रदर्शित की गई है, जिसमें जानकारी भिन्न है । निर्धारित प्रपत्र अनुसार इन तालिकाओं में पूरे जिले की एकजाई जानकारी को सम्मिलित कर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जावें ।

(ix) बिंदु कमांक–10.6 में दी गई जानकारी (पेज नं. 53 से 57) रिपोर्ट की अनुकमणिका के बिंदु कमांक–1.6 में शामिल की जा सकती है ।

(x) इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों को को–आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो।

(xi) जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) मे जो जिला का खनिज नक्शा दर्शाया गया है। उसमें दर्शाये गये रेत खदानों की स्थान स्पष्ट नही हो रहे है। कृपया इस नक्शे को A-3 size मे या अन्य उचित स्केल मे प्रिन्ट करवाकर लगायें। इसी प्रकार अन्य दर्शायें गये नक्शे जैसे जिले की जनसंख्या, नक्शा आदि भी संशोधित कर लेवें।

(xii) समिति ने संबंधित जिलों के खनिज अधिकारियों को निर्देशित करती है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि नदियों में किसी स्थान पर मछलियों/कछुआ /घड़ियाल/मगरमच्छ आदि जलचरों का ब्रीडिंग ग्राउण्ड तो नहीं है यदि ऐसा कोई स्थानीय संवेदनशीन क्षेत्र दृष्टिगत होता है तो खनन् क्षेत्र की सीमा को 60 प्रतिशत से कम कर 50 प्रतिशत तक भी सीमित किया जा सकता है।

(xiii) समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सभी खनिज अधिकारी अपनी साईट विजिट के दौरान खदान द्वारा किये जा रहे पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं का भी अवलोकन करें एवं यदि कोई पर्यावरणीय संवेदनशीलता दृष्टिगत हो, जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो तो संबंधित तथ्यों से राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारिण प्राधिकरण को उचित कार्यवाही हेतु अवगत करायें।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि दतिया जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। ऑन लाईन उपस्थित श्री रमेश पटेल, प्रभारी खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) को अद्यतन कर लें । तदनुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 587वी बैठक दिनांक 02.08.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि SEAC द्वारा सुझाई की उपरोक्त अनुशंसाओं को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अद्यतन किया जाकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018, में निर्धारित फार्मेट में संशोधित एवं अद्यतन वांछित जानकारी सीधे ही SEAC को प्रेषित करते हुए SEIAA को भी प्रति प्रस्तुत करें।

तदानुसार जिला कलेक्टर, दतिया एवं संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

11. <u>जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – रीवा (अन्य गौण खनिज, रेत छोड़कर)</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 587वीं बैठक दिनांक 02.08.2022 में जिला रीवा की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज, रेत छोड़कर) में निम्नानुसार सुझाव सहित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अद्यतन किये जाने की अनुशंसा की गई है।

(i) *तालिका क0. 12.1 के पेज 23 से गिट्टी स्टोन की जो जानकारी प्रदर्शित की है, उसके रिमार्क कॉलम मे सरल क0. 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 106, 107, 108, 123, 125, एंव 142 मे पर्यावारण स्वीकृति संबंधी जानकारी में कोई भी टिप्पणी नही की गई है तथा अन्य गौण खनिज जैसे : ऑकर एवं लेटराईट खनिज की जानकारी भी दी जावें। इस टेबिल में जानकारियॉ अधिसूचना दिनांक 25/07/18 में दिए गए फार्मेट के बिंदु क्रमांक–9 के अनुरूप कॉलमों में दी जाये, जैसे : सभी खदानों के अक्षांश–देशांश की भी जानकारी, मेथर्ड ऑफ माईनिंग इत्यादि । अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) को अद्यतन कर लें ।*

(ii) *जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रदर्शित नक्शों में जो भी फीचर्स दिखाया जाता है उसको संबंधित नक्शें के लीजेंड में भी दिखाया जाना चाहिए एवं नक्शों का स्केल ऐसा होना चाहिए कि समस्त फीचर स्पष्ट दिख सके । यदि ए–4 साईज में नक्शें नहीं आ पा रहे हो तो ए–3 साईज में नक्शों को बनाना चाहिए जैसे : पेज–14 पर स्वाइल मेप, पेज–17 पर डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स इत्यादि।*

(iii) *जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी की फोटोग्राफ प्रस्तुत किये है, सभी संचालित खदानों में किए गए वृक्षारोपण की जानकारी (खदानवार) दी जाना चाहिए, अतः इसको अद्यतन किया जाये ।*

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि रीवा जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। ऑन लाईन उपस्थित श्री रत्नेशन दीक्षित, खनि अधिकारी,को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें। तदनुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 587वी बैठक दिनांक 02.08.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि SEAC द्वारा सुझाई की उपरोक्त अनुशंसाओं को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अद्यतन किया जाकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट में संशोधित एवं अद्यतन वांछित जानकारी सीधे ही SEAC को प्रेषित करते हुए SEIAA को भी प्रति प्रस्तुत करें।

तदानुसार जिला कलेक्टर, रीवा एवं संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

12. <u>जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – राजगढ़ (रेत खनिज) (संशोधित)</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 587वीं बैठक दिनांक 02.08.2022 में जिला राजगढ़ की संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) में समिति ने परीक्षण उपरांत पाया कि संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अभी भी कुछ बिंदुओं पर स्पष्टता का अभाव है, जैसे

(i) जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 25 पर अंकित है कि वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में रेत की रॉयल्टी टेबल में रेत का उत्पादन "नॉट एप्लीकेवल" दर्शाया गया है परंतु शासकीय राजस्व इन वर्षो में दर्शाया गया हैं जिस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाना चाहिए ।

(ii) प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विगत 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है ।

(iii) बिंदु कमांक–10 पर प्रस्तुत रेनफॉल की जानकारी में मासिक विवरण नहीं दिया गया है ।

(iv) जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के साथ संलग्न किए गए 29 गूगल इमेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि लगभग 10 से 15 खदानें पूर्ण रूप से जलमग्न है या ब्रिज के समीप है, इस स्थिति में रेत का खनन् सस्टेनेबल सेंड माईनिंग गाईड लाईन, 2016 व इंफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईड लाईन फॉर सेंड माईनिंग, 2020 अनुसार किस प्रकार किया जायेगा स्थिति स्पष्ट नहीं की गई हैं एवं क्या जिला समिति द्वारा इन स्थलों का भौतिक सत्यापन किया गया है । समिति का सुझाव है कि ऐसे सेंसेटिव फीचर्स की जानकारी का जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में आवश्यक उल्लेख किया जाना चाहिए जिससे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के समय समिति को निर्णय लेने में असुविधा न हो ।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि उपरोक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज), राजगढ़ को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये । ऑन लाईन उपस्थित श्री मुकेश सिंह सिकरवार, खनि निरीक्षक को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई कि वे उपरोक्तानुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) को अद्यतन कर लें। तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 587वी बैठक दिनांक 02.08.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि SEAC द्वारा सुझाई की उपरोक्त अनुशंसाओं को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अद्यतन किया जाकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट में संशोधित एवं अद्यतन वांछित जानकारी सीधे ही SEAC को प्रेषित करते हुए SEIAA को भी प्रति प्रस्तुत करें।

तदानुसार जिला कलेक्टर, राजगढ़ एवं संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

13. <u>जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – भोपाल (रेत खनिज)</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 587वीं बैठक दिनांक 02.08.2022 में जिला भोपाल की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) में निम्नानुसार सुझाव सहित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अद्यतन किये जाने की अनुशंसा की गई है।

(i) प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) में कुछ जानकारियॉ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निर्धारित फार्मेट/ तालिका में नहीं दी गई है । जैसे टेबिल कमांक 16 व 17 (पेज कमांक–77 व 78) में खनिज रेत हेतु लीजवार "माइनेवल मिनरल पोटेंशियल (घनमीटर में) 60 % टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार लम्बाई एंव चौड़ाई के साथ नही दिया गया है जो दिया जाना आवश्यक है।

(ii) प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विगत 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है ।

(iii) इसी प्रकार पेज कमांक–07 पर सिर्फ 02 रेत खदानों का विवरण दिया गया है तथा उसमें भी उनका क्षेत्रफल तथा लीज वैधता की अवधि का उल्लेख नहीं है जो अधिसूचना में निहित प्रपत्र अनुसार दी जाना चाहिए ।

(iv) इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों को को–आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो।

(v) समिति ने संबंधित जिलों के खनिज अधिकारियों को निर्देशित करती है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि नदियों में किसी स्थान पर मछलियों/कछुआ /घड़ियाल/मगरमच्छ आदि जलचरों

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

का ब्रीडिंग ग्राउण्ड तो नहीं है यदि ऐसा कोई स्थानीय संवेदनशीन क्षेत्र दृष्टिगत होता है तो खनन् क्षेत्र की सीमा को 60 प्रतिशत से कम कर 50 प्रतिशत तक भी सीमित किया जा सकता है।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला भोपाल को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। ऑन लाईन उपस्थित श्री कमल दिनकर, उप संचालक, खनि कर्म, भोपाल को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

जिला खनिज अधिकारी, जिला भोपाल के ई–मेल दिनांक 17.08.2022 के माध्यम से SEAC की 587वीं बैठक दिनांक 02.08.2022 की अनुशंसा अनुसार चाही गई उपरोक्त जानकारी सीधे ही SEAC को परीक्षण हेतु प्रेषित की गई है एवं उसकी एक प्रति SEIAA को भी प्राप्त हुई है। तदानुसार उक्त जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पुनः परीक्षण हेतु SEAC की ओर अग्रेषित की जाये।

14. <u>जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – डिंडोरी (रेत खनिज)</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 587वीं बैठक दिनांक 02.08.2022 में जिला डिंडोरी की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) में निम्नानुसार सुझाव सहित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अद्यतन किये जाने की अनुशंसा की गई है।

(i) प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 49 पर दर्शित तालिका के प्रथम लीज मूसमुंडी रायत–1 एवं अंतिम लीज बुंडर में प्रस्तुत ऑकड़ों से ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्थल पर सेंड रिप्लेनिशमेंट नहीं/बहुत कम हो रहा है, क्योंकि प्री–मानसून एवं पोस्ट मानसून मात्रा लगभग एक जैसी दर्शित है, अतः पुनः जॉच लिया जाये ।

(ii) प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 71 पर दी गई तालिका में विगत 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षों में कितना रहा है ।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला डिंडोरी को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। ऑन लाईन उपस्थित श्री हितेश कुमार बिसेन, खनि अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

जिला खनिज अधिकारी, जिला डिंडोरी के ई–मेल दिनांक **12.08.2022** के माध्यम से **SEAC** की **587वीं** बैठक दिनांक **02.08.2022** की अनुशंसा अनुसार चाही गई उपरोक्त जानकारी सीधे ही **SEAC** को परीक्षण हेतु प्रेषित की गई है एवं उसकी एक प्रति **SEIAA** को भी प्राप्त हुई है। तदानुसार उक्त जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** की ओर अग्रेषित की जाये।

15. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – जबलपुर (रेत खनिज)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 587वीं बैठक दिनांक 02.08.2022 में जिला जबलपुर की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) में निम्नानुसार सुझाव सहित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अद्यतन किये जाने की अनुशंसा की गई है।

(i) प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 71 से 76 पर दी गई तालिका में विगत 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है ।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला जबलपुर को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। ऑन लाईन उपस्थित श्री अभिषेक पटले, खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 587वी बैठक दिनांक 02.08.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि SEAC द्वारा सुझाई की उपरोक्त अनुशंसाओं को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अद्यतन किया जाकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट में संशोधित एवं अद्यतन वांछित जानकारी सीधे ही SEAC को प्रेषित करते हुए SEIAA को भी प्रति प्रस्तुत करें।

तदानुसार जिला कलेक्टर, जबलपुर एवं संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

16. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – बालाघाट (अन्य गौण खनिज)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 587वीं बैठक दिनांक 02.08.2022 में जिला बालाघाट की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज) में निम्नानुसार सुझाव सहित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अद्यतन किये जाने की अनुशंसा की गई है।

(i) प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट–अन्य गौण खनिज पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निधारित फार्मेट अनुसार ही बनाई जाये ।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(ii) *जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका–9 (पेज कमांक–34 से 35) की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में नहीं है । निर्धारित प्रपत्र के कमांक–9 के कॉलम–05, 09, 10, 11, 13, 14, 15 एवं 16 इत्यादि की जानकारी नहीं दी गई हैं ।*

(iii) *जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे हरित क्षेत्र के विकास सिर्फ 39 खदानों में निर्धारित लक्ष्य के विरूद्व किए गए वृक्षारोपण की जानकारी दी गई है जबकि खदानों की संख्या लगभग 68 है। समिति की अनुशंसा है कि इस जानकारी को अद्यतन कर लिया जाये तथा सभी संचालित खदानों में हरित क्षेत्र के विकास की जानकारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रस्तुत की जाये।*

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला बालाघाट (रेत खनिज को छोड़कर अन्य गौण खनिज) को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। ऑन लाईन उपस्थित श्री सोहन सलामे, खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) को अद्यतन कर लें । तदनुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 587वी बैठक दिनांक 02.08.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि SEAC द्वारा सुझाई की उपरोक्त अनुशंसाओं को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अद्यतन किया जाकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट में संशोधित एवं अद्यतन वांछित जानकारी सीधे ही SEAC को प्रेषित करते हुए SEIAA को भी प्रति प्रस्तुत करें।

तदानुसार जिला कलेक्टर, बालाघाट एवं संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

17. <u>जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – बालाघाट (रेत खनिज)</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 587वीं बैठक दिनांक 02.08.2022 में जिला बालाघाट की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) में निम्नानुसार सुझाव सहित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अद्यतन किये जाने की अनुशंसा की गई है।

(i) *प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) में कुछ जानकारियॉ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निर्धारित फार्मेट / तालिका में नहीं दी गई है । जैसे टेबिल कमांक 15 एवं 16 में खनिज रेत हेतु लीजवार "माइनेवल मिनरल पोटेंशियल (घनमीटर में) 60% टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार लम्बाई एंव चौड़ाई के साथ नही दिया गया है जो दिया जाना आवश्यक है।*

(ii) *प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 86 एवं 87 पर दी गई तालिका में विगत 03 वर्षो में उत्खनित रेत की मात्रा खदानवार भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है ।*

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(iii) खदानों को को–आर्डिनेट के अनुसार 'डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला बालाघाट (रेत खनिज) को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। ऑन लाईन उपस्थित श्री सोहन सलामे, खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) को अद्यतन कर लें । तदनुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 587वी बैठक दिनांक 02.08.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि SEAC द्वारा सुझाई की उपरोक्त अनुशंसाओं को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अद्यतन किया जाकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट में संशोधित एवं अद्यतन वांछित जानकारी सीधे ही SEAC को प्रेषित करते हुए SEIAA को भी प्रति प्रस्तुत करें।

तदानुसार जिला कलेक्टर, बालाघाट एवं संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

18. <u>जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – रायसेन (रेंत खनिज) – संशोधित</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 587वीं बैठक दिनांक 02.08.2022 में जिला रायसेन की संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) में निम्नानुसार सुझाव सहित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अद्यतन किये जाने की अनुशंसा की गई है।

(i) प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 66 से 68 पर दी गई तालिका में विगत 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है ।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला रायसेन को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। ऑन लाईन उपस्थित श्री राजीव कदम, खनि निरीक्षक को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) को अद्यतन कर लें । तदनुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

जिला खनिज अधिकारी, जिला रायसेन के ई–मेल दिनांक 16.08.2022 के माध्यम से **SEAC** की 587वीं बैठक दिनांक 02.08.2022 की अनुशंसा अनुसार चाही गई उपरोक्त जानकारी सीधे ही **SEAC** को परीक्षण हेतु प्रेषित की गई है एवं उसकी एक प्रति **SEIAA** को भी प्राप्त हुई है। तदानुसार उक्त जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** की ओर अग्रेषित की जाये।

19. <u>जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – अनूपपुर (रेत खनिज) – संशोधित</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 587वीं बैठक दिनांक 02.08.2022 में जिला अनूपपुर की संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) में निम्नानुसार सुझाव सहित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अद्यतन किये जाने की अनुशंसा की गई है।

(i) *प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 47 से 50 पर दी गई तालिका में विगत 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है ।*

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला अनूपपुर को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। ऑन लाईन उपस्थित सुश्री आशा लता, प्रभारी खनिज अधिकारी एवं सुश्री ईशा वर्मा, खनि निरीक्षक को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

जिला खनिज अधिकारी, जिला अनूपपुर के ई–मेल दिनांक 10.08.2022 के माध्यम से **SEAC** की 587वीं बैठक दिनांक 02.08.2022 की अनुशंसा अनुसार चाही गई उपरोक्त जानकारी सीधे ही **SEAC** को परीक्षण हेतु प्रेषित की गई है एवं उसकी एक प्रति **SEIAA** को भी प्राप्त हुई है। तदानुसार उक्त जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** की ओर अग्रेषित की जाये।

20. <u>जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – सिंगरौली – संशोधित</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 587वीं बैठक दिनांक 02.08.2022 में जिला सिंगरौली की संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में निम्नानुसार सुझाव सहित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अद्यतन किये जाने की अनुशंसा की गई है।

(i) *जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल कमांक–22 (Comparative Study: Pre and Post Monsoon Scenario) में खनिज रेत हेतु "माइनेवल मिनरल पोटेंशियल" (घनमीटर में) (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार (लम्बाई एवं चौड़ाई के साथ) दिया गया है परंतु प्रस्तुत टेबल में खनन् योग्य खनिज क्षमता (जिसके आधार पर 60 प्रतिशत माईनिंग पोटेंशियल निकाला गया है) की मात्रा दर्शाना उचित होगा ।*

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(ii) प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 116 से 118 पर दी गई तालिका में विगत 03 वर्षों में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षों में कितना रहा है ।

(iii) इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों के को-आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो ।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि सिंगरौली जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, रेत खनिज (संशोधित) को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। ऑन लाईन उपस्थित श्री अशोक कुमार राय, खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें। तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

जिला खनिज अधिकारी, जिला सिंगरौली के ई-मेल दिनांक 12.08.2022 के माध्यम से SEAC की 587वीं बैठक दिनांक 02.08.2022 की अनुशंसा अनुसार चाही गई उपरोक्त जानकारी सीधे ही SEAC को परीक्षण हेतु प्रेषित की गई है एवं उसकी एक प्रति SEIAA को भी प्राप्त हुई है। तदानुसार उक्त जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पुनः परीक्षण हेतु SEAC की ओर अग्रेषित की जाये।

21. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – धार (रेत खनिज) – संशोधित

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 587वीं बैठक दिनांक 02.08.2022 में जिला धार की संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज)में निम्नानुसार सुझाव सहित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अद्यतन किये जाने की अनुशंसा की गई है।

(i) इसी प्रकार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल कमांक – निरंक (Pre and Post Monsoon Scenario) में खनिज रेत हेतु "माइनेवल मिनरल पोटेंशियल" (घनमीटर में) (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार जानकारी प्रस्तुत की गई है किंतु यह जानकारी लम्बाई एवं चौड़ाई के साथ दिया जाना चाहिए ।

(ii) प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका कमांक-26 में विगत 03 वर्षों में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षों में कितना रहा है ?

(iii) इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों के को-आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो ।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि धार जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, रेत खनिज (संशोधित) को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। ऑन लाईन उपस्थित श्री मोहन सिंह खतोड़िया, खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें। तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

जिला खनिज अधिकारी, जिला धार के ई–मेल दिनांक 08.08.2022 के माध्यम से SEAC की 587वीं बैठक दिनांक 02.08.2022 की अनुशंसा अनुसार चाही गई उपरोक्त जानकारी सीधे ही SEAC को परीक्षण हेतु प्रेषित की गई है एवं उसकी एक प्रति SEIAA को भी प्राप्त हुई है। तदानुसार उक्त जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पुनः परीक्षण हेतु SEAC की ओर अग्रेषित की जाये।

22. **प्रकरण क्र. 7505/2020 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स राम जानकी ग्रेनाईट, ग्राम दिदवारा, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 19637 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.20 हेक्टेयर, खसरा नं. 1593/1, 1594/1, ग्राम तोरमदार, तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 587वीं बैठक दिनांक 02.08.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

> *"........राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 587वीं बैठक दिनांक 02.08.2022 में उक्त प्रकरण में समिति द्वारा निर्णय लिया क परियोजना प्रस्तावक द्वारा 30 दिनों के भीतर परिवेश पोर्टल पर ADS का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक इस प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करने में रूचि नहीं ली जा रही है । अतः इस प्रकरण को नस्तीबद्ध (Delist) करते हुए सिया को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाना अनुशंसित है। "*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत 587वी बैठक दिनांक 02.08.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

23. **प्रकरण क्र. 9193/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री जितेन्द्र यादव आत्मज श्री रामनरेश यादव, निवासी ए–2, मंदाकिनी ब्लॉक, केविहगर लाईन 1, बटालियन, जिला इंदौर (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान, उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.20 हेक्टेयर, खसरा नं. 178/22/1, ग्राम अलवासा, तहसील हतोड़, जिला इंदौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 587वीं बैठक दिनांक 02.08.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

> *"........राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 587वीं बैठक दिनांक 02.08.2022 में उक्त प्रकरण में समिति द्वारा निर्णय लिया क परियोजना प्रस्तावक द्वारा 30 दिनों के भीतर परिवेश पोर्टल पर ADS का उत्तर*

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक इस प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करने में रूचि नहीं ली जा रही है । अतः इस प्रकरण को नस्तीबद्ध (Delist) करते हुए सिया को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाना अनुशंसित है। "

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत 587वी बैठक दिनांक 02.08.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

24. प्रकरण कमांक 9069/2022 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स नवरतनमल गौगलिया एंड संस मदनपुरा लेटेराईट एंड फायरक्ले माईन, श्री शरद चन्द्रा गौगलिया, इन्ड्रस्ट्रियल एरिया, कटाय घाट रोड़, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा लेटेराईट एंड फायरक्ले खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20848 टन प्रतिवर्ष, रकबा 1.80 हेक्टेयर, खसरा नं. 294, 296/2, 298/1, 299, ग्राम मदनपुर, तहसील मुरवारा, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 561वीं बैठक दिनांक 21.03.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 722वी बैठक दिनांक 07.05.2022 में प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से प्रकरण को **Delist** करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश अनुसार प्रस्तावित खदान पूर्व से खुदी होना एवं 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान होना परिलक्षित है। अतः कलेक्टर कटनी से प्रस्तावित खदान में परिलक्षित हो रही खुदाई के संबंध में स्पष्टीकरण एवं 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों की वास्तविक स्थिति की जानकारी 15 दिवस में प्राप्त की जाये। सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

कलेक्टर कटनी का पत्र क्र. 1764 दिनांक 27.07.2022 एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 08.08.2022 के माध्यम से प्रस्तावित खदान में परिलक्षित हो रही खुदाई के संबंध में स्पष्टीकरण एवं 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों की वास्तविक स्थिति के संबंध जानकारी प्राप्त हुई है।

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा **विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है चूँकि यह आवेदन SEIAA द्वारा दिनांक 17.05.2022 में लिये गये नीतिगत निर्णय के पूर्व की है अतः SEAC की 561वी बैठक दिनांक 21.03.2022 की गई** अनुशंसा को मान्य करते हुए विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

I. **जिला खनिज अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित खदान अनिवार्यतः नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये एवं जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन होने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।**

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा **SEAC** की अनुशंसा अनुसार वन क्षेत्र से 20 मीटर के अतिरिक्त 30 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" छोड़ा जाये तथा संबंधित राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में सीमांकन करवाये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन सीमा की ओर चेनलिंग फेंसिंग एव स्पष्ट मुनारे लगाई जायें।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के अंदर मौजूद जीवित वृक्षों को नहीं काटा जायेगा तथा उनका रखरखाव किया जायेगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा **SEAC** की अनुशंसा एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण निम्नानुसार स्थलों पर किया जाये :– :

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण	पौधों की प्रजातियां	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन गारलैंड नाली	नीम, गुलमोहर, बांस, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	1200
2.	परिवहन मार्ग के किनारे (पेड़ो की न्यूनतम् ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, करंज, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	200
. 3.	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, आम, इमली, नीम, कटहल, नीबूं, अमरूद, जामुन, करोदा, मुनगा एवं अन्य आवश्यकतानुसार।	600
		कुल	2000

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम मदनपुरा की सड़क की मरम्मत की जाये एवं उसका रखरखाव किया जाये।
- ग्राम मदनपुरा के शासकीय स्कूल एवं ऑगनबाडी केन्द्र में खेल सामग्री वितरित की जाये।
- ग्राम मदनपुरा में ग्रामवासियों को 600 फलदार पौधों का वितरण किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स नवरतनमल गौगलिया एंड संस मदनपुरा लेटेराईट एंड फायरक्ले माईन, श्री शरद चन्द्रा गौगलिया, इन्ड्रस्ट्रियल एरिया, कटाय घाट रोड़, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा लेटेराईट एंड फायरक्ले खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20848 टन प्रतिवर्ष, रकबा 1.80 हेक्टेयर, खसरा नं. 294, 296/2, 298/1, 299, ग्राम मदनपुर, तहसील मुरवारा, जिला कटनी (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय म.प्र. खनिज साधन विभाग भोपाल का पत्र क. 3–49/2002/12/2 दिनांक 28.02.2003 के माध्यम से उक्त खदान को 20 वर्ष (दिनांक 23.07. 2003 से 22.07.2023 तक) स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 22.07.2023 तक मान्य रहेगी।

25. प्रकरण कमांक 2192/2014 – परियोजना प्रस्तावक श्री गौरव खंडेलवाल, पार्टनर मेसर्स सिद्धी विनायक इंटरप्राईज़ेस, टीचर कॉलोनी, रामभलपुर, मेघनगर, जिला झाबुआ (म.प्र) द्वारा प्लाट नं. 30, ए.के.वी.एन. इन्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील मेघनगर,, जिला झाबुआ (म.प्र.) में स्थित ऑरगेनिक इंटरमिडियेट की क्षमता विस्तार की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, श्री संजय गुप्ता, निदेशक, टीचर कॉलोनी, रामभलपुर, मेघनगर, जिला झाबुआ (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में **प्लाट नं. 30, ए. के.वी.एन. इन्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील मेघनगर,, जिला झाबुआ** (म.प्र) पूर्व परियोजना प्रस्तावक **श्री गौरव खंडेलवाल, पार्टनर मेसर्स सिद्धी विनायक इंटरप्राईज़ेस, टीचर कॉलोनी, रामभलपुर, मेघनगर, जिला झाबुआ (म.प्र.)**, को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) उक्त प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति एस.ई.आई.ए.ए द्वारा पत्र क्र. 1528 दिनांक 12.10. 2018 के माध्यम से **श्री गौरव खंडेलवाल, पार्टनर मेसर्स सिद्धी विनायक इंटरप्राईज़ेस, टीचर कॉलोनी, रामभलपुर, मेघनगर, जिला झाबुआ (म.प्र.) को** 600 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष डाई इन्टरमिडियेट की उत्पादन क्षमता विस्तार बढ़ाने हेतु जारी की गई थी।

पूर्व में इस पर्यावरण स्वीकृति के तहत श्रीमती योगिता प्रजापति, श्रीमती मंजू खण्डेलवाल, श्रीमती स्वेता खण्डेलवाल, श्री प्रहलाद खण्डेलवाल, श्री महेश प्रजापति एवं श्री गौरव खण्डेलवाल मेसर्स सिद्धि विनायक इण्टरप्राइजेज के पार्टनर थे।

(3) **यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–**

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक **श्री गौरव खंडेलवाल, पार्टनर मेसर्स सिद्धी विनायक इंटरप्राईज़ेस, टीचर कॉलोनी, रामभलपुर, मेघनगर, जिला झाबुआ** (म.प्र.) के नाम

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

पर्यावरणीय स्वीकृति हंस्तातरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ–पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

II. **श्री गौरव खंडेलवाल, पार्टनर मेसर्स सिद्धी विनायक इंटरप्राईज़ेस, टीचर कॉलोनी, रामभलपुर, मेघनगर, जिला झाबुआ (म.प्र.)** द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि इस परियोजना में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन अनिवार्यतः किया जायेगा।

III. एस.ई.आई.ए.ए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. एस.ई.आई.ए.ए पत्र क्र. 1528 दिनांक 12.10.2018 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. पार्टनरशिप डीड की प्रति जिसके माध्यम से पूर्व पक्षकारों द्वारा श्री संजय गुप्ता आत्मज श्री लालजी भाई गुप्ता' एवं श्री राजेश गुप्ता आत्मज श्री लालजी भाई गुप्ता के पक्ष में दिनांक 07.02.2019 को सम्पादित की गई है।

V. उपरोक्त हस्तांतरण हेतु सभी पूर्व पक्षकारों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दी गई है कि प्रति।

VI. परियोजना के अनुपालन प्रतिवेदन भी जमा किये हैं जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री संजय गुप्ता द्वारा यह भी सूचित किया है कि उनके द्वारा कोई भी उत्पादन आरंभ नहीं किया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अतः एस.ई.आई.ए.ए **द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र.** 1528 दिनांक 12.10.2018 **के माध्यम से श्री गौरव खंडेलवाल, पार्टनर** मेसर्स सिद्धी विनायक इंटरप्राईज़ेस, टीचर कॉलोनी, रामभलपुर, मेघनगर, जिला झाबुआ (म.प्र.) के नाम पर प्लाट नं. 30, ए.के.वी.एन. इन्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील मेघनगर,, जिला झाबुआ (म.प्र.) की **पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, नवीन, परियोजना प्रस्तावक श्री संजय गुप्ता, निदेशक, टीचर कॉलोनी, रामभलपुर, मेघनगर, जिला झाबुआ (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार निर्देशों के साथ जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–**

I. **उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 1528 दिनांक** 12.10.2018 **में निहित समस्त शर्तों एवं पर्यावरण स्वीकृति की वैधता यथावत रहेगी।**

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छः माही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

26. प्रकरण क्र. **7245/2020** : **परियोजना प्रस्तावक मेसर्स तनिषा इन्फ्राकॉन प्रा.लि., पता डी–64, शालीग्राम –1 नियर सरोन पार्क, सेटेलाईट रोड़, जिला अहमदाबाद (गुजरात)–380015 द्वारा लैटेराईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 18.33 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 81,770 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 1331, 1339, 1340, ग्राम – तरनोद तहसील–सुवासरा, जिला मंदसौर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 733वी बैठक दिनांक 21.06.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

" .... उपरोक्त संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 15.06.2022 के माध्यम से प्राप्त जानकारी पर राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासकीय विद्यालय तरनोद में 15 दिवस की अवधि में 120 पौधे रोपित कर मय छायाचित्र अक्षांश देशांश सहित जानकारी प्रस्तुत करें। तदोउपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 02.08.2022 के माध्यम से उपरोक्त निर्णय के परिपालन में शासकीय विद्यालय तरनोद में पौधे रोपित कर मय छायाचित्र सहित जानकारी प्रस्तुत कर उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड की गयी है।

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist किया जाता है एवं SEAC की 569वी बैठक दिनांक 06.05.2022 की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए एंव चूंकि उक्त आवेदन SEIAA द्वारा दिनांक 15.06.2022 को जिलो की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन हेतु लिए गए नीतिगत निर्णय के पूर्व का है। अतः विशिष्ट शर्तो (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

I. **जिला खनिज अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित खदान अनिवार्यतः नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये एवं जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन होने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।**

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान क्षेत्र के **अंदर मौजूद कच्ची सड़क से 50 मीटर एवं देवस्थल से चारो ओर 100 मीटर तथा जल संरचना से न्यूनतम 100 मीटर** तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में स्थित कंटूर ट्रैन्चस की ओर नो माईनिंग जोन के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

IV. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में की गई प्रतिबद्धता अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं करेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।**

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा **SEAC** की अनुशंसा अनुसार कुल आवंटित 18.33 हे. में से 05.33 हे. एरिया नॉन माईनिंग के रूप में छोड़ते हुए शेष रकबा 13.00 हे. एरिया उत्खनन् कार्य किया जायेगा।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कलस्टर में सम्मलित समस्त खदान धारको के सहयोग से कलस्टर की एक पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार की जाये एवं जिला प्रशासन के मार्गदर्शन तथा समन्वय से योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा **SEAC** की अनुशंसा एवं वृक्षारोपण कार्यकम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 22620 वृक्षों का वृक्षारोपण निम्नानुसार स्थलों पर किया जाये :– :

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	आम, नीम, पीपल, बरगद, खमैर, चिरौल, सीतफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉं।	6000
2	ग्रामपंचायत तरनोद के ग्रामवासियों को वितरण हेतु	इमली, आवंला, आम, अमरूद, करोंदा महुआ, सीताफल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियॉं।	7500
3	परिवहन मार्ग (पौधो की न्यूनतम कम से कम 01 मीटर)	आम, करंज, नीम, चिरौल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉं,	4500
4	ग्राम तरनोद के भासकीय विद्यालय में	कदंब, अमलतास, अ ोक, नीम, गुलमोहर आदि।	120
5	परिवहन मार्ग	आम, करंज, नीम, चिरौल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉं,	4500
		योग	22,620

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम तारनोद में 03 हैण्डपम्प स्थापित किये जाये एवं पुराने मंदिर का रिनोवशन किया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम तारनोद के ग्रामवासियों को उज्जवला योजना के तहत 40 घरेलू गैस सिलेण्डर वितरित किये जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स तनिषा इन्फ्राकॉन प्रा.लि., पता डी–64, शालीग्राम –1 नियर सरोन पार्क, सेटेलाईट रोड़, जिला अहमदाबाद (गुजरात)–380015 द्वारा लैटेराईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 18.33 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 81,770 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 1331, 1339, 1340, ग्राम – तरनोद तहसील–सुवासरा, जिला मंदसौर (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय म.प्र. खनिज साधन विभाग भोपाल का पत्र क. 3–63/2018/12/1 दिनांक 05.03. 2013 के माध्यम से उक्त खदान को 30 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 04.03.2043 तक मान्य रहेगी।

27. प्रकरण कमांक 9192/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री गोरधन भयडिया आत्मज श्री भरत सिंह भयडिया, निवासी ग्राम परतली, तहसील राणापुर, जिला झाबुआ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 9975 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 52, रकबा 1.80 हेक्टेयर, ग्राम परतली, तहसील राणापुर, जिला झाबुआ (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 738वीं बैठक दिनांक 28.07.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

परियोजना प्रस्तावक से खनन क्षेत्र में पक्की सड़क एवं कच्ची सड़क से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात् उपलब्ध खनन योग्य क्षेत्र के संबंध में Revised Surface Map तैयार कर 07 दिवस में प्रस्तुत करें उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तदानुसार प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 28.07.2022 के माध्यम से उपरोक्त निर्णय के परिपालन में खनन क्षेत्र में पक्की सड़क एवं कच्ची सड़क से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात् उपलब्ध खनन योग्य क्षेत्र के संबंध में **Revised Surface Map** तैयार कर प्रेषित एवं उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड की गयी है।

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं SEAC की 575वी बैठक दिनांक

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

30.05.2022 की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित **पर्यावरणीय** स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से 200 मीटर तक" नो माइनिंग जोन"** के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। (माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 'दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से प्रस्तावित खदान तक न्यूनतम 50 मीटर** "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद जीवित वृक्ष (01 नीम का पेड़) को नहीं काटा जायेगा एवं उनका रख –रखाव किया जायेगा।**

IV. **जिला खनिज अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित खदान अनिवार्यतः अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये एवं जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खदान सम्मिलित होने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।**

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2200 वृक्षों का वृक्षारोपण निम्नानुसार स्थलों पर किया जाये :– :

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा(संख्या में)
1	बैरियर जोन	शीशम, नीम, कस्टार, बरगद, खमैर, चिरौल, पीपल, सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	800
2	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम उचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, अमलतास एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	300

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

3	परताली ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, नीम, आम, अमरूद अन्य फलदार प्रजातियाँ।	1080
4.	शासकीय विद्यालय परताली में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, गुलमोहर आदि (ट्री–गार्ड के साथ यदि बाउण्ड्रीवाल नहीं है तो)	20
		कुल वृक्षारोपण	**2200**

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम परताली के ऑगनवाड़ी केन्द्र में खाना बनाने के लिये, खाना परोसने के लिये और बच्चों के खाना खाने के लिये बर्तन व बच्चों के खेलने के लिए लकडी के खिलौने तथा बची हुई राशि से 01 वर्ष तक पोषण आहार का वितरण किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री गोरधन भयडिया आत्मज श्री भरत सिंह भयडिया, निवासी ग्राम परतली, तहसील राणापुर, जिला झाबुआ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 9975 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 52, रकबा 1.80 हेक्टेयर, ग्राम परतली, तहसील राणापुर, जिला झाबुआ (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती **है**। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ का पत्र क. 411 दिनांक 01.04.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 31.03.2032 तक मान्य रहेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परिशिष्ट–2

कॉमन बायोमेडिकल बेस्ट ट्रीटमेन्ट की विशिष्ट शर्तेः

1. This EC will be subject to the establishment criteria to be decided by the MPPCB.
2. The entire demand of fresh water should be met through private tanker and if exceeds the requirement PP should obtain NOC from CGWA for withdrawal of ground water.
3. Proponent shall strictly comply the design criteria for incinerator, autoclave, shredder and all other requirements as per CPCB guidelines.
4. ZLD status shall be maintained all the time.
5. PP should ensure to implement the need base activities under CER in consultation with district administration/village panchayat.
6. This environmental clearance is issued subject to implementation of online air monitoring facility equipment, waste water management odour management and noise management system. PP should ensure to efficiency of the pollution control measurement should not be less than 99%.
7. PP to include carbon foot print in the Environmental Monitoring and set targets for reduction of their footprint in the management systems.
8. PP will take prior permission of MPPCB for establishing CBWTF at the site in reference to revised guideline of CPCB-2016 for CBWTF before installation.
9. Compliance of all the directions / Judgment issued by NGT or other Courts shall be binding on part of the PP
10. PP should install adequate ETP for treatment and disposal of effluent and Zero discharge should be maintained.
11. Process effluent/any waste water should not be allowed to mix with storm water.
12. Guidelines of CPCB/MPPCB for Bio-Medical Waste Common Hazardous Wastes Incinerators shall be followed.
13. No landfill site is allowed within the CBWTF site.
14. Ecosorb (organic and biodegradable chemical) and alumina will be used around odor generation areas at regular intervals for dilution of odorant by odor counteraction or neutralize.
15. PP will ensure to use only non chlorinated bags for handling and storing bio medical waste. In any case, PP is not allowed to use poly and plastic bags.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

16. All safety measures will be strictly followed by workers for handling of Bio medical waste bags during storage and feeding at incinerator to prevent health hazards.

17. Incinerator should be properly interlocked with venture scrubber to control air pollution.

18. Incinerated ash and ETP sludge shall be disposed at approved TSDF and MoU made in this regard should be done prior to the commencement.

19. Color coding for handling waste be strictly followed as per BMW Rules 2016.

20. PP should ensure the rain water harvesting by providing of recharging pits. In addition, PP should provide recharging trenches. The base of the trenches should be Kachha with pebbles.

21. PP will install continuous online monitoring system to monitor the emissions from the stack. Periodical air quality monitoring in and around the site shall be carried out. The parameters shall include Dioxin and furan.

22. Proper Parking facility should be provided for employees & transport used for collection & disposal of waste materials.

23. Necessary provision shall be made for fire fighting facilities within the complex.

24. PP should carryout periodical air quality monitoring in and around the site including VOC, HC.

25. PP shall ensure to conduct quarterly health check up of workers working in the plant.

26. PP will construct garland drain of appropriate size and settling tank with stone pitching all around the plant premises.

27. PP should develop 5 m green belt all along the periphery of the species that are significant and used for the pollution abatement. Besides this, PP will explore the possibility to develop dense green belt by planting thick foliage trees.

28. Incineration plants shall be operated (combustion chambers) with such temperature, retention time and turbulence, so as to achieve Total Organic Carbon (TOC) content in the slag and bottom ashes less than 3%, or their loss on ignition is less than 5% of the dry weight of the material.

29. The proponent should ensure that the project fulfills all the provisions of Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008 including collection and transportation design etc and also guidelines for Common Hazardous Waste Incineration - 2005, issued by CPCB.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

30. The Leachate from the facility shall be collected and treated to meet the prescribed standards before disposal.

31. PP should ensure installation of photovoltaic cells (solar energy) for lighting in common areas, LED light fixtures, and other energy efficient plant machineries and equipments.

32. The containers should be covered during transportation in order to prevent exposure of public to odors and contamination.

33. PP should have two storage rooms separately for treated and untreated waste.

34. PP should ensure the traffic movement plan, parking facilities and road width.

35. PP should develop green belt at least minimum of 33% in plant premises as per CPCB guidelines with native species/Pollution absorbing species.

36. All the recommendations, mitigation measures,environmental protection measures and safeguards proposed in the EIA report of the project submitted by project proponent vide commitments made during presentation before SEAC and proposed in the EIA report shall be strictly adhered to in letter and spirit.

37. The unit shall strictly comply with CPCB guidelines for setting up the common biomedical waste treatment facility.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष